फर्द अहकाम

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा**

रमेश बनाम राज0 सरकार

किस्म मुकदमा–प्रा0पत्र 136 एल.आर.ए. — मु0नं0–35/2025

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 नवनीत कुमार (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.06.2025	प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा इस बाबत पेश किया गया कि प्रार्थी का नाम रमेश पुत्र रामस्वरूप है लेकिन ग्राम चांदेरा तह0 सिकराय में स्थित भूमि खसरा नम्बर 291में प्रार्थी का नाम सूखाराम पुत्र रामस्वरूप दर्ज है जबकि प्रार्थी के सभी दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम रमेश है। इसलिए प्रार्थी के सभी नाम की शुद्धि करते हुए प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में सही किया जावे। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया, पटवारी हल्का चांदेरा की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। संलग्न दस्तावेजात एवं रिपोर्ट पटवारी हल्का के अवलोकन से प्रार्थी का सही नाम रमेश होना बखूबी साबित है लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में गलत नाम सूखाराम दर्ज है जिसे शुद्ध किया जाना उचित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम चांदेरा तह0 सिकराय में स्थित भूमि खसरा नम्बर 291 में प्रार्थी का नाम सूखाराम के स्थान पर रमेश दर्ज किए जाने के आदेश तहसीलदार सिकराय को दिए जाते है। पालना तहरीर जारी हो। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 06.06.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा	